न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जि. जयपुर

97/2021 गीता बनाम कमली

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	18/8/23	पत्रावली पेश [illegible] P.O साहब दौरे/ अन्य कार्य [illegible] के कारण कार्यवाही नहीं [illegible] की। पत्रावली दिनांक 19/10/23 को पेश हो।
	19/10/23	पत्रावली पेश हुई। P.O.साहब दौरे/ अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 7/12/23 को पेश हो।
	7/12/23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय [illegible] स/ कार्य स्थगित करने के कारण [illegible] नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 18/1/24 को पेश हो।
	18/1/24	पत्रावली पेश हुई। P.O.साहब दौरे अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 29/1/24 को पेश हो।
	29/01/24	पत्रावली पेश हुई। P.O.साहब दौरे अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 09/02/24 को पेश हो।
	09/02/24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता श्री राजेश कुमार शर्मा उपस्थित। प्रार्थी O1 R10 (2) सीपीसी के अधिवक्ता श्री राजेश कुमार शर्मा उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र O1 R10 (2) सीपीसी सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा के बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त हम पाते हैं कि गीता देवी एवं राजन्ती देवी अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.03.2023 पंजीबद्ध दिनांक 17.03.2023 के अनिल कुमार मीना HUF पुत्र छुट्टनलाल मीना निवासी 105/165 कुम्भा मार्ग, प्रतापनगर

[illegible]

न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जि-जयपुर
97/2021 गीता बनाम कमली

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		सांगानेर जि- जयपुर को किया गया है इसलिए प्रार्थी को वादी के समस्त अधिकार अर्न्तनिहित हो गये है एवं प्रकरण मे आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार होने के कारण न्यायहित मे प्रार्थना पत्र O1 R10(2) सीपीसी सपठित धारा 151 आ०डी० स्वीकार किया जाकर प्रार्थी अनिल कुमार मीना HUF पुत्र छुट्टन लाल मीना को वादी सं- 3 के रूप मे बतौर वादी पक्षकार संयोजित किये जाने के आदेश दिये जाते है। वादी अधिवक्ता ने संशोधित उनवान पेश किया। वादी अधिवक्ता ने तहसीलदार बस्सी के पत्रांक भू-अ-/2023/817 दिनांक 24/01/2023 के अनुसार वाद को अंतिम रूप से डिक्री फरमाने हेतु निवेदन किया। वादी अधिवक्ता की विभाजन प्रस्ताव पर एक पक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने एवं वादी अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुनने एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि वादिनीगण गीता देवी एवं राजन्ती देवी ने अपने सम्पूर्ण हिस्से का दौराने दावा वादी सं- 3 अनिल कुमार मीना HUF पुत्र छुट्टन लाल मीना को जरिये रजि० विक्रय पत्र पंजीबद्ध दिनांक 17-03-23 को कर दिया गया है एवं विभाजन प्रस्ताव वादिनी गीता देवी एवं राजन्ती देवी के नाम	

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
		बनकर आये है विभाजन प्रस्ताव पर वादिनीगण के हस्ताक्षर है एवं प्रतिवादी मौके पर मौजूद थे एवं हस्ताक्षर करने से मना किया का नोट विभाजन प्रस्ताव पर अंकित है एवं प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नही की गई है। इसलिए न्यायहित को ध्यान मे रखते हुये तहसीलदार बस्सी के पत्रांक भू०अ०/2023/817 दिनांक 24/01/2023 द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाकर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा न. 14 रकबा 4.2867 हैक्ट, खसरा न. 15 रकबा 0.0506 हैक्ट कुल किता 2 कुल रकबा 4.3373 हैक्ट स्थित ग्राम पीपलाबाई प०ह० बसला तह० बस्सी जि. जयपुर में से खसरा न. 14/1 रकबा 1.0717 हैक्ट की भूमि खातेदार गीता देवी पत्नि भीमलाल हिस्सा 1/2 राजन्ती देवी पत्नि रामनिवास हिस्सा 1/2 के हिस्से मे रहेगी तथा खसरा न. 14/2 रकबा 3.2150 हैक्ट की भूमि खातेदार कमली देवी पत्नि लालाराम हि० 1/45 कृष्ण कुमार पुत्र डूंगरसिंह हि० 1/24 गोपाल पुत्र लालाराम हि० 2/45 मोती पुत्र गोविन्दा हि० 1/3 छोटेलाल पुत्र लालाराम हि० 2/45 फूलचन्द पुत्र सांवता हि० 1/12
		(हस्ताक्षर)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण

मूलचन्द पुत्र सांवता हि० 1/12 रमेश पुत्र कल्याण हि० 1/9 शिवकुमार पुत्र डूंगरसिंह हि० 1/24 शिवचरण पुत्र सांवता हि० 1/12 सीताराम पुत्र कल्याण हि० 1/9 के हिस्से मे रहेगी तथा खसरा नं. 15 रकबा 0.0506 हैक्टेयर की भूमि नाम व हिस्सा हाल जमाबन्दी खाता सं. 57 के अनुसार रहेगी। तहसीलदार बस्सी गीता देवी एवं राजन्ती देवी का सम्पूर्ण हिस्से का बेचान होने के कारण इनके स्थान पर वादी सं.3 अनिल कुमार मीना HUF पुत्र घुट्टन लाल मीना के नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकित करते हुऐ अंतिम डिक्री की पालना करें। डिक्री पर्चा जारी हो। अनुमोदित विभाजन प्रस्ताव व नक्शे तहसीलदार बस्सी को भिजवाया जावें। इस आशय की तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 09/02/2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी कनक जैन (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण

वादीगण — **बनाम** — **प्रतिवादीगण**

वादीगण

1. गीता देवी पत्नी मीठालाल जाति मीणा निवासी ग्राम केशोपुरा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।
2. राजन्ती देवी पत्नी रामनिवास जाति मीणा निवासी ग्राम केशोपुरा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।
3. अनिल कुमार मीना HUF पुत्र छुट्टन लाल मीना निवासी 105/165 कुम्भा मार्ग प्रतापनगर सांगानेर जिला जयपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. कमली देवी पत्नी लालाराम
2. कृष्ण कुमार पुत्र डूंगरसिंह
3. गोपाल पुत्र लालाराम
4. गोपी पुत्र गोविन्दा
5. छोटीलाल पुत्र गोविन्दा
6. फूलचन्द पुत्र सांवता
7. मूलचन्द पुत्र सांवता
8. रमेश पुत्र कल्याण
9. शिवकुमार पुत्र डूंगरसिंह
10. शिवचरण पुत्र सांवता
11. सीताराम पुत्र कल्याण
    समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम पीपलाबाई तहसील बस्सी जिला जयपुर।
12. पंजाब नेशनल बैंक शाखा चाकसू तहसील चाकसू जिला जयपुर जरिये मैनेजर
13. तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर
14. उपपंजीयक बस्सी तह. बस्सी जिला जयपुर।

दावा बाबत् विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

मुकदमा नम्बर 97/2021

वादीगण का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 14 रकबा 4.2867 है. ख.नं. 15 रकबा 0.0506 है. कुल किता 2 कुल रकबा 4.3373 हैक्टेयर स्थित ग्राम पीपलाबाई प.ह. बराला तह. बस्सी जिला जयपुर में से ख.नं. 14/1 रकबा 1.0717 है., की भूमि खातेदार गीता देवी पत्नी मीठालाल हिस्सा 1/2 राजन्ती देवी पत्नी रामनिवास हिस्सा 1/2 के हिस्से में रहेगी तथा खसरा नम्बर 14/2 रकबा 3.2150 है. की भूमि खातेदार कमली देवी पत्नी लालाराम हिस्सा 1/45, कृष्ण कुमार पुत्र डूंगरसिंह हिस्सा 1/24 गोपाल पुत्र लालाराम हिस्सा 2/45, गोपी पुत्र गोविन्दा हिस्सा 1/3, छोटीलाल पुत्र लालाराम हिस्सा 2/45, फूलचन्द पुत्र सांवता हिस्सा 1/12, मूलचन्द पुत्र सांवता हिस्सा 1/12, रमेश पुत्र कल्याण हिस्सा 1/9, शिवकुमार पुत्र डूंगरसिंह हिस्सा 1/24, शिवचरण पुत्र सांवता हिस्सा 1/12, सीताराम पुत्र कल्याण हिस्सा 1/9 के हिस्से में रहेगी तथा खसरा नम्बर 15 रकबा 0.0506 है. की भूमि नाम व हिस्सा हाल जमाबंदी खाता संख्या 57 के अनुसार रहेगी। तहसीलदार बस्सी गीता देवी एवं राजन्ती देवी का सम्पूर्ण हिस्से का बेचान होने के कारण इनके स्थान पर वादी संख्या 3 अनिल कुमार मीणा एचयूएफ पुत्र

छुट्टनलाल मीणा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करते हुए अंतिम डिक्री की पालना करें। ....निजी...................मुबलिक......................बाबत......................................खर्चा..........................
.............इस मुकददमें का मय सूद वगैरह...................फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक..........................को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 09.02.2024 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तख्त..........................

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर

ओहदा...............................

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर
बस्सी, जयपुर ग्रामीण